

न्यायालय अपर जिला जज संख्या 03, मथुरा ।

विविध वाद संख्या 6/2023

श्रीमती चित्रा गर्ग आदि

बनाम

श्रीमती हेमलता गर्ग आदि

24.04.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षकार जरिए अधिवक्तागण उपस्थित हैं। पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना पत्र 17क पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 17क इस आशय का है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 हेमलता गर्ग की मृत्यु दिनांक 13.03.2023को जयपुर के हॉस्पिटल में हो गई है। उक्त वाद को आगे चलाने हेतु प्रतिपक्षी हेमलता के वारिसों को बजरिए संशोधन उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रतिपक्षी हेमलता गर्ग ने अपनी मृत्यु पर वारिसों के रूप में अपने पति वीरेन्द्र गर्ग, पुत्र सोनल गर्ग एवं पुत्री रिंकी अग्रवाल को छोड़ा है, जो उसके तरके पर काबिज व दखील हैं। चूंकि हेमलता की मृत्यु पर चित्रा गर्ग व देवांश गर्ग भी वारिस हैं, लेकिन वे उक्त वाद में पहले से ही पक्षकार हैं, अतः उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र 18ग से समर्थित है।

प्रार्थना पत्र 17क के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति 20क में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थी/ आवेदक/ द्वारा भूलवश प्रतिपक्षी संख्या 1 के वारिस के रूप में 1/1 वीरेन्द्र गर्ग का नाम उल्लिखित किया था जबकि 1/1 वीरेन्द्र गर्ग पहले से ही उक्त वाद में प्रतिपक्षी संख्या 2 के रूप में कायम है। आपत्ति शपथ पत्र 21ग से समर्थित है।

प्रस्तावित वारिसान न्यायालय में उपस्थित हैं। उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

प्रस्तावित वारिसान में से वारिस संख्या 1/1 वीरेन्द्र गर्ग पहले से ही प्रतिपक्षी संख्या 2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उनको वारिस के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। शेष तथ्यों के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 17क आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वह मृतक प्रतिपक्षी संख्या 1 के स्थान पर सोनल गर्ग व रिंकी अग्रवाल को उनके वारिसान को क्रमशः प्रतिपक्षी संख्या 1/1 व 1/2 के रूप में प्रतिस्थापित करने हेतु विविध वाद संख्या 06/2023 में संशोधन करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त उत्तर पत्र, यदि कोई हो, दिनांक 20.05.2025 को पेश हो। वांछित संशोधन एक सप्ताह के भीतर किया जाए।

(ब्रह्मतेज चतुर्वेदी)

अपर जिला जज,

न्यायालय संख्या 03, मथुरा।

ID-UP 6184ईएओऔऊफ़